

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 18/2018 अपील

1. श्री सतीश कुमार पुत्र भवानी शंकर बनाम राजस्थान राज्य जरिये  
मीणा निवासी मोरला तहसील जहाजपुर तहसीलदार जहाजपुर जिला  
जिला भीलवाड़ा भीलवाड़ा
2. श्री प्रवीण कुमार पुत्र भवानी शंकर  
मीणा निवासी मोरला तहसील जहाजपुर  
जिला भीलवाड़ा

—अपीलार्थी

— रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध आदेश तहसीलदार, जहाजपुर बमामले

प्रकरण सं0 326/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017

उपस्थित –

1. श्री मेहराज अली अधिवक्ता – अपीलार्थीगण की ओर से  
2. श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोजेण्ट की ओर से

## निर्णय

दिनांक 28.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरुद्ध आदेश तहसीलदार जहाजपुर को बमामलें प्रकरण सं. 326/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 के खिलाफ प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोजेण्ट ने ग्राम मोरला की आराजी सं. 18 रकबा 8.00 बीघा भूमि से शास्ति लगान 8.00 का 50 गुणा 400/-रूपये जुर्माना व 15 दिन के कारावास का निर्णय विरुद्ध अपीलार्थी के पारित करने में कानूनी भूल की हैं। अपीलार्थी उक्त आराजी सं. 18 रकबा 16.05 बीघा माल थर्ड का राजस्व रिकार्ड सम्मत 2022-2025 व 2036-39 के अनुसार खातेदार काश्तकार हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को उक्त आराजी पर एक अतिचारी के रूप में मानते हुये गलत तौर दण्डित किया हैं जो कानूनन विधि संगत नहीं होने से निरस्तनीय हैं। अपीलार्थी ने आर.ए.ए. न्यायालय में अपीलार्थी सतीश कुमार व प्रवीण कुमार के साथ एक अपील पेश कर रखी है। जिसमें अपीलार्थी ने निर्णय व आदेश दिनांक 10.05.1986 अनवान राजस्थान राज्य बनाम कल्याण वगैरह में प्रकरण सं. 110/83 राजस्व प्रार्थना पत्र में पारित हुये निर्णय व आदेश को अपास्त फरमाये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अपील पेश कर रखी हैं, जो विचाराधीन है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को



अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा (राज.)

नजरअन्दाज कर निर्णय व आदेश पारित किया हैं, जो कतई विधि सम्मत न होकर काबिल निरस्तनीय है। अपीलार्थी एक वृद्ध , गरीब अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं तथा एक गरीब काश्तकार हैं और खेती बाडी ही अपीलार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन हैं । अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी जब वारण्ट से गिरफ्तार कर दिनांक 10.01.2018 को तहसीलदार जहापुर के समक्ष पेश किया गया, तब हुयी । तहसीलदार जहाजपुर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सजा को अपील प्रस्तुत करने तक स्थगित करने हेतु निवेदन किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जहाजपुर द्वारा दिनांक 10.01.2018 से 12.02.2018 तक एक माह का अपील प्रस्तुत करने का समय दिया गया । दिनांक 10.01.2018 के आदेश से निणय दिनांक 10.10.2017 जानकारी से अन्दर अवधि पेश है। फिर भी दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। अतः निवेदन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित उक्त प्रकरण सं. 326/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 के आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे । अपीलार्थी के नाम पर वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश बक्षाय जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 02.02.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकार्ड तलब किया गया ।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील में वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम मोरला की आराजी सं. 18 रकबा 8.00 बीघा भूमि से शास्ति लगान 8.00 का 50 गुणा 400/-रूपये जुर्माना व 15 दिन के कारावास का निर्णय विरुद्ध अपीलार्थी के पारित करने में कानूनी भूल की हैं। अपीलार्थी उक्त आराजी सं. 18 रकबा 16.05 बीघा माल थर्ड का राजस्व रिकार्ड सम्मत 2022-2025 व 2036-39 के अनुसार खातेदार काश्तकार हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को उक्त आराजी पर एक अतिचारी के रूप में मानते हुये गलत तौर दण्डित किया हैं जो कानूनन विधि संगत नहीं होने से निरस्तनीय हैं । अपीलार्थी ने आर.ए.ए. न्यायालय में अपीलार्थी सतीश कुमार व प्रवीण कुमार के साथ एक अपील पेश कर रखी है। जिसमें अपीलार्थी ने निर्णय व आदेश दिनांक 10.05.1986 अनवान राजस्थान राज्य बनाम कल्याण वगैरह में प्रकरण सं. 110/83 राजस्व प्रार्थना पत्र में पारित हुये निर्णय व आदेश को अपास्त फरमाये जाने हेतु अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अपील पेश कर रखी हैं, जो विचाराधीन है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर निर्णय व आदेश पारित किया हैं, जो कतई विधि सम्मत न होकर काबिल निरस्तनीय है। अपीलार्थी एक वृद्ध, गरीब अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं तथा एक गरीब काश्तकार हैं और खेती बाडी ही अपीलार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन हैं। निवेदन हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर द्वारा पारित उक्त प्रकरण सं. 326/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 के आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान फरमावे। अपीलार्थी के नाम पर वादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश बक्षाय जावे ।



अतिरिक्त जिला कलक्टर  
बीलवाड़ा (राज.)

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के विरुद्ध 175 आर.टी.ए. के अन्तर्गत कार्यवाही होकर भूमि सिवायचक दर्ज की गयी । वादग्रस्त आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत हैं । अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे ।

सर्वप्रथम अपील में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया । प्रार्थी ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है । न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं ।

पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया । अपीलार्थी ने आराजी नं. 18 रकबा 16.05 बीघा के संवत् 2022-2025 व 2036-39 में खातेदार काश्तकार होना बताया , लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट हैं कि पटवारी हल्का मोरला द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध ग्राम मोरला तहसील जहाजपुर की आराजी नं0 18 रकबा 8.00 बीघा भूमि पर संवत् 2073 में भी प्रकरण न्यायालय तहसीलदार जहाजपुर में दर्ज कराया गया एवं उक्त न्यायालय ने बेदखली के आदेश दिये । अपीलार्थी द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया और अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 15 दिवस के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के शास्ति लगान 8.00 का 50 गुणा 400/-रूपये के अधिरोपित कर वसूलने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया जो विधि सम्मत प्रतीत होता हैं । उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं । अतएव—

### आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सिद्ध नहीं होने से खारिज की जाती हैं । तहसीलदार जहाजपुर के प्रकरण सं. 326/2017 निर्णय दिनांक 10.10.2017 को यथावत रखा जाता हैं । निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, जहाजपुर को पालनार्थ भेजी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



28/05/18  
(एल.आर.गुजरवाल)  
जिला कलेक्टर  
भूलवाड़ा (रज.)